ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 88

भूमि संसाधन विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3496.22	1.16	3497.38	5147.23	1.01	5148.24	3753.36	1.01	3754.37	4781.19	1.01	4782.20
वसूलियां	*-1786.49*	...	-1786.49	*-2481.00*	...	*-2481.00*	*-1788.37*	...	*-1788.37*	*-2131.20*	...	*-2131.20*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**1709.73**	**1.16**	**1710.89**	**2666.23**	**1.01**	**2667.24**	**1964.99**	**1.01**	**1966.00**	**2649.99**	**1.01**	**2651.00**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	20.77	1.16	21.93	24.23	1.01	25.24	23.99	1.01	25.00	24.99	1.01	26.00
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
डिजिटल इंडिया पहल-भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम												
2. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	124.33	...	124.33	141.00	...	141.00	141.00	...	141.00	120.00	...	120.00
राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्र प्रायोजित योजनाएं												
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3. वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना												
3.01 कार्यक्रम घटक	1681.35	...	1681.35	2481.00	...	2481.00	1788.37	...	1788.37	2486.20	...	2486.20
3.02 ईएपी घटक	7.58	...	7.58	20.00	...	20.00	11.63	...	11.63	18.80	...	18.80
3.03 कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि को अंतरण	1661.43	...	1661.43	2481.00	...	2481.00	1788.37	...	1788.37	2131.20	...	2131.20
3.04 घटाएं- कृषि अवसंरचना और विकास आरक्षित निधि से प्राप्त राशि	-1785.73	...	-1785.73	-2481.00	...	-2481.00	-1788.37	...	-1788.37	-2131.20	...	-2131.20
निवल	*1564.63*	...	*1564.63*	*2501.00*	...	*2501.00*	*1800.00*	...	*1800.00*	*2505.00*	...	*2505.00*
कुल जोड़	***1709.73***	***1.16***	***1710.89***	***2666.23***	***1.01***	***2667.24***	***1964.99***	***1.01***	***1966.00***	***2649.99***	***1.01***	***2651.00***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
1. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	35.87	...	35.87	75.21	...	75.21	59.83	...	59.83	69.57	...	69.57
2. भूमि सुधार	124.33	...	124.33	126.90	...	126.90	126.90	...	126.90	108.00	...	108.00
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.77	...	20.77	24.23	...	24.23	23.99	...	23.99	24.99	...	24.99
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	1.16	1.16	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01	...	1.01	1.01
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**180.97**	**1.16**	**182.13**	**226.34**	**1.01**	**227.35**	**210.72**	**1.01**	**211.73**	**202.56**	**1.01**	**203.57**
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	264.11	...	264.11	194.11	...	194.11	227.01	...	227.01
6. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1491.95	...	1491.95	2121.78	...	2121.78	1522.03	...	1522.03	2173.05	...	2173.05
7. संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	36.81	...	36.81	54.00	...	54.00	38.13	...	38.13	47.37	...	47.37
जोड़-अन्य	**1528.76**	**...**	**1528.76**	**2439.89**	**...**	**2439.89**	**1754.27**	**...**	**1754.27**	**2447.43**	**...**	**2447.43**
कुल जोड़	**1709.73**	**1.16**	**1710.89**	**2666.23**	**1.01**	**2667.24**	**1964.99**	**1.01**	**1966.00**	**2649.99**	**1.01**	**2651.00**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान भूमि संसाधन विभाग के सामान्य स्थापना व्यय के लिए है।

2. **भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:** 1. भूमि संसाधन विभाग का मुख्य प्रयास और जोर डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तत्वाधान में देश के सभी जिलों में ऐसी उपयुक्त समेकित भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार करना है, जिससे अन्य बातों के साथ - साथ जो लाभ होंगे वे हैं (i) भूमि पर रियल टाइम सूचना में सुधार (ii) भूमि संसाधनों का अनुकूल उपयोग (iii) भूस्वामियों एवं संभावित भूस्वामियों दोनों को लाभ ; (iv) नीति और योजना में सहायता; (v) भूमि विवादों को कम करना; (vi) धोखाधड़ी/बेनामी के लेन-देन की रोकथाम (vii) सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों और संबंधों को सुविधाजनक और सक्षम बनाएगा और (viii) भूखंड के मालिक, संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों और इच्छुक व्यक्तियों/उद्यमियों को जमीन के किसी भी भूखंड की निष्पक्ष और व्यापक स्थिति दर्शाने के लिए सभी उपलब्ध और प्रासंगिक जानकारी तक ऑनलाइन एकल-खिड़की पहुंच प्रदान करना। 2. विभाग का प्रयास विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) जैसी पहलों के माध्यम से भूमि प्रशासन के क्षेत्र में निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है, जो कि भूमि पार्सल पहचान की एक एकीकृत प्रणाली है, जो नागरिकों को एकीकृत भूमि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी भूमि पार्सल या संपत्ति की जानकारी का एक आधिकारिक स्रोत है। राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) देश भर में पंजीकरण विभागों के लिए विकसित एक सामान्य, जेनरिक और कॉन्फ़िगरेबल एप्लिकेशन है।

3. **वाटरशेड विकास घटक- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना:** (i) विभाग वर्षा पोषित और अवक्रमित क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। (ii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 (पूर्ववर्ती आईडब्ल्यूएमपी) के तहत, विभाग ने 6382 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय अनुदानों की सहायता दी। वर्ष 2009-10 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय हिस्से के रूप में लगभग 19,926 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है ।कुल 6382 परियोजनाओं में से 6376 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। (iii) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई1.0 की विस्तारित परियोजना अवधि दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई की निरंतरता को भारत सरकार द्वारा 2021-2026 की परियोजना अवधि के लिए 8,134 करोड़ रुपये के सांकेतिक केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई है।स्प्रिंगशेड विकास को डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 में एक गतिविधि के रूप में जोड़ा गया है। (iv) डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 1. 05 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/कायाकल्प किया गया है।